559

श्री राज कुमार राय, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित

प्रश्न सं० त्र-53 का उत्तर प्रतिवेदन

ध्यानाकर्षण	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत स्थित करेह नदी का पूर्वी तटबंध सिरनियॉ से सिरसिया तक पूर्णत: ध्वस्त है;	अस्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त तटबंध के ध्वस्त होने से लाखों की आबादी को प्रतिवर्ष बाढ़ के समय बॉध टूटने का भय बना रहता है;	वस्तुस्थिति यह है कि बाढ़ अवधि में उक्त तटबंध पर दबाव बना रहता है, परन्तु तटबंध की सतत् निगरानी एवं चौकसी रखी जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त करेह नदी के पूर्वी तटबंध को ऊँचा एवं चौड़ीकरण कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	उक्त तटबंध के कमजोर भाग की मरम्मति हेतु एजेण्डा संख्या-144/160 के तहत बाढ़ 2018 पूर्व कटाव निरोधक कार्य (प्राक्कलित राशि रूपये 1228.43 लाख) कराया जा रहा है, जिसे दिनांक-15.05.2018 तक पूर्ण कर लेने का कार्यक्रम है। सिरिनिया-सिरसिया के बीच करेह बॉया तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 60.00 तथा सिरसिया-फूहिया के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 12.50 तक पूर्व निर्मित तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-III(b) के तहत् सम्मिलित है। उक्त योजना की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बाढ़ अवधि 2018 के दौरान उक्त तटबंध की सतत् निगरानी एवं चौकसी रखने तथा आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करा कर तटबंध को सुरक्षित रखने का कार्यक्रम है।

श्री हेम नारायण साह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 त्र–16 द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के प्रखंड महाराजगंज के पंचायत सारंगपुर के ग्राम सारंगपुर के बरई टोला में नहर पर पुल नहीं होने से वहाँ के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त नहर पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	सिवान जिला अंतर्गत महराजगंज प्रखंड के सारंगपुर पंचायत अंतर्गत सारंगपुर ग्राम से ढेबर उपवितरणी गुजरती है, जिसके वि0दू0 11.50 पर पुल निर्माण प्रश्नाधीन है। ढेबर उपवितरणी के वि0दू0 11.50 के अपस्ट्रीम में वि0दू0 10.60 अर्थात 274.32 मीटर की दूरी पर एवं डाउनस्ट्रीम में वि0दू0 12.00 अर्थात 152.40 मीटर की दूरी पर पूर्व से ह्यूम पाईप कलर्वट निर्मित है, जिससे आवागमन सुचारू ढंग से चल रहा है। उक्त दोनों ह्यूम पाईप कलर्वट के बीच की दूरी 427 मीटर है। उल्लेखनीय है कि ढेबर उपवितरणी का रूपांकित जलश्राव 74 क्यूसेक है। विभागीय मापदंड के अनुसार वैसी नहरें जिनमें जलश्राव 150.00 क्यूसेक से कम है उन पर दो पुलों के बीच की दूरी प्रायः 6 फर्लांग अर्थात 1207 मीटर होना चाहिए। अतः विभागीय मापदंड के अनुसार प्रश्नगत स्थल पर पुल अनुमान्य नहीं है।

599

श्री निरंजन कुमार मेहता, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र–59 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के गवालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत खुरहान वितरणी नहर में 20 आर.डी. के पास साइफन वर्ष 2008 में आयी बाढ़ में ध्वस्त हो चुका है, जिससे नहर का पानी आसपास के लगभग 500 एकड़ खेतों में प्रवाहित होता है, जिससे फसल को नुकसान पहुंचता है, यदि हों तो सरकार कब तक उक्त साइफन का पुनर्निर्माण कराने को विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत संरचना एक सी0डी0 संरचना है तथा क्षतिग्रस्त है। इस संरचना की मरम्मति/ पुनर्स्थापन खरीफ सिंचाई 2018 के पूर्व करा लिये जाने का आदेश मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा को पत्रांक 501 दिनांक 06.03.2018 द्वारा दिया गया है।

पत्र संख्या– 11/वि०स०–01–07/2017 – 815
06.3.2018

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–70 लघु जल संसाधन विभाग को स्थानान्तरित करने के संबंध में।

प्रसंग बिहार विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप संख्या–1738–39 दिनांक 01.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–70 का संबंध आपके विभाग से हैं ।

अतः निदेशानुसार विषयांकित पत्र से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–70 मूल में आपके विभाग को स्थानांतरित किया जाता है ।

इसकी सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है ।

अनुलग्नक – यथावत् ।

विश्वासभाजन
06/03/2018
(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक – 815 पटना, दिनांक – 06.3.2018

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

06/03/2018
(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक – 815 पटना, दिनांक – 06.3.2018

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

06/03/2018
(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

606

श्री संजीव चौरसिया, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 त्र–67 का उत्तर प्रतिवेदन ।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि नहर के बांध की सुरक्षा हेतु नहर में आउट लेट बनाकर सिंचाई करने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नहर में आउटलेट का निर्माण सिंचाई कार्य हेतु किया जाता है न कि नहर की सुरक्षा हेतु।
(2) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंडान्तर्गत माछागरा लघु उप वितरणी गंडक योजना के ग्राम–चैरौली से माछागरा ग्राम तक कुल 10 जगहों पर बिना आउटलेट बनाये ही पाईप लगाकर एक–एक हजार फीट तक का पक्का नाला वर्ष 1976 से बनाया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सिंचाई हेतु नहर तटबंध में पाईप विभाग द्वारा नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के द्वारा अनाधिकृत रुप से अधिष्ठापित किया गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि उक्त नहर की ढ़लैया कार्यक्रम के तहत ग्राम–चौरौली के हीरा गिरि के मकान के नजदीक नहर में लगे पाईप पांच जगहों पर सफाई के दौरान पाईप टूट गये है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नहर पुनर्स्थापन के क्रम में आउटलेट का फेस वॉल एवं पाईप आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त हुआ है।
(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ढलाई कार्य के पूर्व आउटलेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	निर्मित पक्का नाला के पास नहर तटबंध में आउटलेट निर्माण की संभाव्यता तलाशने के संबंध में विभागीय पत्रांक 496 दिनांक 05.03.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान को निदेशित किया गया है। संभाव्यता पाये जाने पर आउटलेट निर्माण कराया जायेगा। साथ ही निर्मित आउटलेट का क्षतिग्रस्त फेस वॉल एवं पाईप की मरम्मति नहर पुनर्स्थापन के क्रम में कराया जायेगा।

609

श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न

संख्या–त्र–28

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखंड में अमसौर तथा समना चौर में साल के अधिकांश महीने कृषि योग्य भूमि में जल जमाव रहती है, जिससे स्थानीय कृषकों को कृषि कार्य में कठिनाई होती है, यदि हॉ तो सरकार कब तक उक्त भूमि पर जल जमाव की समस्या के निराकरण हेतु जल प्रबंधन की कार्रवाई करने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	अस्वीकारात्मक वर्त्तमान में उक्त दोनों चौरों में फसल लगी हुई है । जल-जमाव की स्थिति कही भी नही है । वर्षा अवधि में जल-जमाव की स्थिति रहती है । वर्षात् बाद दोनों चौरों का जल निकास सतही बहाव के द्वारा दसरिया मोईन एवं छह पुलिया होते हुए पुरानी बागमती एवं बुढ़ी गंडक नदी में होता है । वर्तमान में उपरोक्त स्थल पर जल जमाव की कोई समस्या नहीं है ।

610

श्री नीरज कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित
प्रश्न सं0-त्र-64 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत समेली प्रखंड के एन.एच.-31 वरण्डी नदी के ऑयल इंडिया के पीछे छोहार से मौहजान तरफ जाने वाली बाँध जर्जर है एवं बाँध पर निर्मित सड़क कच्ची है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त बाँध को ऊँचा कराने एवं सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नही तो क्यो ?	वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत समेली प्रखंड के एन.एच.-31 एवं ऑयल इंडिया के पीछे छोहार से मौहजान तरफ जाने वाली बाँध, वरण्डी नदी के दाँयें तट पर निर्मित तटबंध के चेन सं0-360 से चेन सं0-483.80 तक का भाग है, जिसकी स्थिति ठीक है । बाँध अपने पूर्ण सेक्शन में है । यह आम रास्ता नही है एवं इसका उपयोग तटबंध के निरीक्षण कार्य के लिए किया जाता है । वर्त्तमान में इस भाग का पक्कीकरण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

614

डा0 राजेश कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र–42 का उत्तर प्रतिवेदन

तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखण्ड के सरोत्तर से पुरैना को जाने वाली नहर के किनारे की सड़क कच्ची है जिससे आमलोगों का आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	• वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी गंडक नहर प्रणाली के भटवलिया वितरणी के वि.दू. 35.60 से सरोत्तर उप वितरणी निःसृत है जिसके वि.दू. 19.00 अंतिम छोर से पुरैना लघु नहर निःसृत है। • पुरैना लघु नहर में सेवा पथ नहीं है। • जल संसाधन विभाग द्वारा आवागमन हेतु सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है। • सरोत्तर ग्राम से पुरैना ग्राम के बीच पक्का सम्पर्क पथ निर्मित है जिससे दोनों गाँव के बीच आवागमन हेतु उपयोग में लाया जाता है।

विधान सभा

संचिका संख्या–10 / वि०स०प्र०(मुज०)–05–09 / 2018 577

18

627

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक अरुण कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 5.3.18

विषय – श्रीमती प्रेमा चौधरी माननीया स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र –15 के स्थानांतरण के संबंध में ।

प्रसंग – प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञापांक 788–89 दिनांक 08.02.2018।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के साथ तारांकित प्रश्न संख्या त्र –15 की मूल प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित प्रश्न, वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर प्रखंड और जन्दाहा प्रखंड के अंतर्गत बरैला झील को पक्षी विहार का दर्जा देने का मामला है, जो आपके विभाग से संबंधित है।

अतः तारांकित प्रश्न संख्या त्र –15 (मूल रूप में) को आपको अग्रेतर कार्रवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है। साथ ही इसकी सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को भी अलग से दी जा रही है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय ।

अनु० – यथोक्त् ।

विश्वासभाजन
05.3.2018
(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 577 पटना, दिनांक– 5.3.18

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–788–89 दिनांक 08.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

05.03.2018
(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 577 पटना, दिनांक– 5.3.18

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

05.3.2018
(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

(637)

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-त्र-66 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के फलका प्रखंड अंतर्गत गोविन्दपुर पंचायत में निसुन्धरा पुल के दक्षिण थामस बाँध जर्जर है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त बाँध की मरम्मति करवाने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के फलका प्रखंड अंतर्गत गोविन्दपुर पंचायत में निसुन्धरा पुल के दक्षिण थामस बाँध 910 मीटर (28 चेन) का भाग पड़ता है । तटबंध के इस भाग में आवश्यक बिन्दुओं की मरम्मति का कार्य एजेण्डा सं0-144/275 के तहत कराया जा रहा है। उपरोक्त कार्य को दिनांक-15.05.2018 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है ।

640

श्रीमती वर्षा रानी, माननीया स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न

संख्या–त्र–65

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अन्तर्गत पंचायत बैकंठपुर दुधैला में चार सौ ग्रामीणों के घर के अलावे प्राथमिक विद्यालय, बैकंठपुर, मध्य विद्यालय, दुधैला का दक्षिणी हिस्सा वर्ष 2017 में गंगा नदी में विलीन हो चुका है तथा दुधैला के 250 घरों एवं पूर्वोत्तर में स्थित चौहद्दी ग्राम के 300 घरों का भी गंगा नदी से कटाव हो रहा है, यदि हॉ तो सरकार कब तक उक्त कटाव स्थलों पर कटावरोधी कार्य कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत नारायणपुर प्रखंड के पंचायत बैकंठपुर में गंगा नदी के मुख्य धार के बायें किनारे खादिर भूमि पर अवस्थित दुधैला ग्राम एवं उसके पुर्वोत्तर में स्थित चौहददी ग्राम का गंगा नदी से वर्तमान में कोई कटाव नही हो रहा है । बाढ़ 2017 अवधि में मध्य विद्यालय दुधैला का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था । उक्त ग्राम गंगा नदी के मुख्य धारा एवं उपधाराओं के बीच खादिर भूमि पर अवस्थित है । यह क्षेत्र बाढ़ अवधि में जलमग्न हो जाता है । अतएव इस स्थल पर कटाव निरोधक कार्य कराने का तकनीकी रूप से कोई औचित्य नही है ।

(641)

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-त्र-73 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अंतर्गत महानन्दा बाँध पर सिंहेश्वर चौक से कमरूद्दीन टोला तक बन रही सड़क के किनारे लगे सरकारी शीशम, बबूल, गंभार, आम के लाखों रू0 के पेड़ों को विभागीय और वन विभाग से आदेश प्राप्त किये बिना काटकर हॉलीहॉक इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी प्रा0लि0 के ठीकेदार विशाल प्रशांत ने बेच दिया है, यदि हाँ तो सरकार जाँच कराकर दोषी पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि लाभा चौकिया पहाड़पुर महानन्दा दाँया तटबंध के सिंहेश्वार चौक (रोशना) से गोविन्दपुर (भोलामारी) तक 19.50 किलोमीटर लम्बाई में तटबंध का उच्चीकरण, सदृढ़ीकरण एवं तटबंध के उपर पक्की सड़क का निर्माण कार्य संवेदक हॉलीहॉक इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी प्रा0लि0, डेहरी ऑन सोन, रोहतास द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । तटबंध पर प्राकृतिक रूप से पेड़ लगे हुए है जिसके देखभाल का उत्तरदायित्व वन एवं पर्यावरण विभाग के उपर है । अवैध रूप से पेड़ काटे जाने या बेचे जाने के संबंध में वन एवं पर्यावरण विभाग या अन्य किसी स्रोत से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । यदि ऐसा है तो वन एवं पर्यावरण विभाग वन संरक्षण अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है ।

(644)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक अरुण कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 5.3.18

विषय – श्री महेश्वर प्रसाद यादव माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र –43 के स्थानांतरण के संबंध में ।

प्रसंग – प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञापांक 1396–97 दिनांक 23.02.2018 ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के साथ तारांकित प्रश्न संख्या त्र –43 की मूल प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित प्रश्न, राजकीय नलकूपों पर ऑपरेटर का पदस्थापन का मामला है, जो आपके विभाग से संबंधित है ।

अतः तारांकित प्रश्न संख्या त्र –43 (मूल रूप में) को आपको अग्रेतर कार्रवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है। साथ ही इसकी सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को भी अलग से दी जा रही है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय ।

अनु० – यथोक्त् ।

विश्वासभाजन
05/03/2018
(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 576 पटना, दिनांक– 5.3.18

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–1396–97 दिनांक 23.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

05/03/2018
(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 576 पटना, दिनांक– 5.3.18

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

05/03/2018
(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

657

श्रीमती भागीरथी देवी, माननीया स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –त्र–21– का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण (बेतिया) जिलान्तर्गत त्रिवेणी कैनाल रक्सौल डिवीजन स्थित त्रिवेणी शाखा नहर से जमुनिया –उप–वितरणी (सिंगाही) विगत 20 वर्षों से जर्जर रहने के कारण धोकराहा, तौलाहा, बभनी के कृषकों को सिंचाई में कठिनाई हो रही है, यदि हां तो सरकार कब तक उक्त वितरणी का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत त्रिवेणी शाखा नहर के आर0डी0 186.242 से जमुनिया उपवितरणी तथा जमुनिया उपवितरणी के आर0डी0 1.90 बॉया से मरहिया उपवितरणी निःसृत है । वर्तमान में इन नहरों के अंतिम छोर तक जलश्राव प्रवाहित कर पटवन कराया जाता है। मरहिया उपवितरणी के 7.22 आर0डी0 से सिंगहवा लघु नहर निःसृत है, जिसकी कुल लम्बाई 16.00 आर0डी0 है। इस लघु नहर के आर0डी0 9.50 तक जलश्राव प्रवाहित कर धोकराहा एव तौलाहा ग्राम की सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । सिंगहवा लघु नहर के आर0डी0 9.50 से आर0डी0 12.10 तक बॉया बॉध क्षतिग्रस्त है । क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति कराकर बभनी ग्राम के कृषकों को खरीफ 2018 में सिंचाई सुबिधा उपलब्ध कराने का कार्यकम है ।

विधान सभा

658

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित

प्रश्न सं० त्र-48 का उत्तर प्रतिवेदन

ध्यानाकर्षण	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर प्रखंड के हरसेट घाट, बाड़ा भारती घाट एवं रघई घाट के उत्तरी एवं दक्षिणी किनारे घनी आबादी है, जहाँ बूढ़ी गंडक नदी में कटाव हो रहा है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त स्थान पर बोल्डर पीचिंग कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बाढ़ अवधि-2017 के दौरान रघई पुल के उत्तरी किनारे नदी के बायें तट पर रघई नोनिया टोला तथा उपर दाहिने तट पर नदी किनारे हरसेर बजरमुरिया में कटाव हुआ था, जिसे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित कर लिया गया था। वर्तमान में उक्त स्थल पर कोई कटाव नहीं हो रहा है। बाढ़-2018 के दौरान कटाव की स्थिति उत्पन्न होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करा कर स्थल को सुरक्षित रखने का कार्यक्रम है।

661

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– त्र–32 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नार्थ कोयल नहर के सिमरा माईनर तथा फुटहड़वा जलवाहा की उड़ाही एवं मरम्मति का कार्य नहीं होने से किसानों को सिंचाई कार्य में करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त माईनर एवं जलवाहा की उड़ाही एवं मरम्मति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। (1) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एडभाईजरी कमिटी द्वारा उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों का छठा पुनरीक्षित प्राक्कलन (प्राक्कलित राशि ₹ 1622.27 करोड़) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें बिहार के अवयवों पर ₹ 531.07 करोड़ का व्यय किया जाना है। (2) उक्त योजना में सिमरा माईनर की उड़ाही एवं मरम्मति तथा फुटहड़वा जलवाहा का निर्माण कार्य सम्मिलित है। योजना को जनवरी 2020 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

(671)

श्री डॉ0 रामानुज प्रसाद, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-त्र-61 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर प्रखंड के दियर इलाका- पहलेजा, गंगाजल, शाहपुर दियारा, नजरमीरा, सबलपुर के चारों पंचायत आदि प्रतिवर्ष बाढ़ एवं कटाव से प्रभावित रहने के चलते बचाव एवं राहत कार्य में करोड़ों रूपये खर्च होता है, परन्तु समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, यदि हां तो सरकार उक्त क्षेत्र को बाढ़ एवं कटाव से मुक्ति दिलाने हेतु पहलेजाघाट-गंगाजल-सबलपुर होते हुए कालीघाट हरिहरनाथ मंदिर तक रिंग बाँध का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर प्रखंड के दियर इलाका- पहलेजा, गंगाजल, शाहपुर दियारा, नजरमीरा, सबलपुर के चारो पंचायत स्थल गंगा नदी एवं गंडक नदी के मिलन बिन्दु के पास अपस्ट्रीम में अवस्थित है । प्रश्नागत सभी स्थलों के पास विगत बाढ़ 2017 अवधि में कोई कटाव परिलक्षित नही हुआ है फलस्वरूप बाढ़ एवं कटाव से प्रभावित नहीं हुआ है ।वर्तमान में उक्त सभी स्थल पूर्णरूपेण सुरक्षित है । वर्तमान स्थलीय स्थिति के आलोक में पहलेजाघाट-गंगाजल-सबलपुर होते हुए कालीघाट हरिहरनाथ मंदिर तक रिंग बाँध का निर्माण कराने का प्रस्ताव नही है । बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है ।

श्री विद्यासागर केसरी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित
प्रश्न सं0-त्र-72 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के कुसमाहा पंचायत के कुसमाहा बाजार से सारे सिंधिया नदी के दोनों किनारे पर रिंग बाँध नहीं होने के कारण किसानों एवं आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त पंचायत के रिकरा मुसहरी से आमगाछी गाँव के बीच नदी के दोनों छोर पर बाँध बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि सिंधिया नदी एक प्राकृतिक ड्रेनेज चैनल है । बाढ़ अवधि में अत्यधिक वर्षापात होने की स्थिति में अल्प समय के लिये जल प्रवाह होता है एवं पानी 2-3 घंटे में निकल जाता है । वर्तमान में उक्त नदी/चैनल में जल प्रवाह हेतु पर्याप्त गहराई मौजूद है । सामान्यतः सिंधिया नदी के पानी का फैलाव एन0एस0एल0 पर नहीं होता है । वर्तमान स्थलीय स्थिति के आलोक में रिकरा मुसहरी से आमगाछी गाँव के बीच सिंधिया नदी के दोनो किनारे पर रिंग बाँध बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री आबिदुर रहमान, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–4 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखण्ड के गैड़ा पंचायत के सफीपुर छोटी कब्रिस्तान के पास बिजुलिया नहर 11 आर0 डी0 पर पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को प्रखण्ड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय आने–जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हॉ तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर पुल बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत स्थल अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखण्ड के गैड़ा पंचायत के सफीपुर छोटी कब्रिस्तान बिजुलिया नहर के 11 आर0 डी0 पर न होकर वस्तुतः बनैली उपवितरणी के आर0 डी0 25.50 पर पड़ता है। इस स्थल से एक कच्ची सड़क गुजरती है जो पैकटोला चौक तक जाने वाली सड़क से निकलकर सफीपुर ग्राम होते हुए ईदगाह तक जाती है। प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम में बनैली उपवितरणी के 25.00 आर0 डी0 पर एक पथीय सेतु –सह–फाल –सह–सी0 आर0 तथा डाउनस्ट्रीम में आर0 डी0 30.00 पर एक पथीय सेतु बना हुआ है। प्रश्नगत स्थल एवं इसके अपस्ट्रीम में 25.00 आर0 डी0 पर निर्मित सेतु की बीच की दूरी मात्र 0.152 कि0मी0 है तथा इस नहर का रूपांकित जलश्राव 95.99 क्यूसेक है। बनैली उपवितरणी में दो पुलों की बीच की न्यूनतम दूरी 1.20 कि0मी0 होनी चाहिए। इस प्रकार प्रश्नगत स्थल पर विभागीय मापदंड के अनुसार पुल अनुमान्य नहीं है।

श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–71 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–
1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत रघुनाथपुर रजवाहा के दोनों तट क्षतिग्रस्त हो गया है एवं मिट्टी से भर गया है जिसके कारण उक्त रजवाहा का पानी प्रवाहित हो कर बर्बाद हो जाता है, जिससे अंतिम छोर किसानों को सिंचाई कार्य में बाधा पहुँचती है;</td><td>आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति है कि रोहतास जिलान्तर्गत रघुनाथपुर रजवाहा गारा चौबे शाखा नहर के 24.16 कि०मी0 से निःसृत है। खरीफ सिंचाई 2017 के दौरान आवश्यकतानुसार मरम्मति कराकर नहर के अंतिम छोर तक पटवन कराया गया है। सिंचाई उपलब्धि निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>लक्ष्य (हे० में)</th><th>उपलब्धि (हे० में)</th></tr>
<tr><td>खरीफ–2017</td><td>1938</td><td>1841</td></tr>
<tr><td>रब्बी–2018</td><td>1265</td><td>1164</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त रजवाहा का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ जो कबतक, नहीं तो क्यों?</td><td>प्रश्नाधीन नहर के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन तैयार कर 31 मार्च 2018 तक उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक 449 दिनांक 05.03.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी को निदेश दिया गया है।</td></tr>
</table>

श्रीमती गायत्री देवी, माननीया स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न
संख्या-त्र-35 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा प्रखंड अंतर्गत बांके नदी बहती है, जो लालबंदी, पीपरा परसाईन, पुरन्दाहा रजवाड़ा पूर्वी, विरता मुसहरनियाँ होते हुए गोगा नदी में जा कर मिलती है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि नदी में सिल्ट भर जाने से नदी की धारा बदल गयी है, जिससे वहाँ के किसान को सिंचाई में असुविधा होती है ;	वस्तुस्थिति यह है कि बांके नदी की धारा नही बदली है, अपितु सिल्ट भर जाने के कारण उक्त पर अवस्थित सिंचाई स्लूईस अक्रियाशील हो गई है।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त नदी के पुरानी घाट से बालू निकालकर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को विभागीय पत्रांक-1027 दिनांक-05.03.2018 से बांके नदी की उड़ाही से संबंधित योजना के तकनीकी संभाव्यता के आधार पर योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निदेशित किया गया है।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–50 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत ड्रेनेज प्रमंडल, कोपरिया के अधीन प्रखंड आलमनगर में बसनवाड़ा धार ड्रेनेज का निर्माण 1971 ई0 में हुआ किन्तु आज तक ड्रेनेज के तल की सफाई का कार्य नहीं हो पाया है, यदि हाँ तो सरकार कब तक पानी के बहाव में तेजी लाने हेतु ड्रेनेज की सफाई का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिला के आलम नगर प्रखंड अन्तर्गत बसनवाड़ा धार ड्रेनेज का निर्माण वर्ष 1981 से 1984 के बीच हुआ है। बसनवाड़ा धार ड्रेनेज से श्याम चौर, बसन, बेला, सगुनाटोला, पुरनदाहा, बेगरा पूर्वी, बेगरा पश्चिमी, सहजादपुर, खुरहान पूर्वी, खुरहान पश्चिमी, लदमा, सधवा, परमानंदपुर एवं चकला चौरों के पानी की निकासी होती है। वर्त्तमान में उपरोक्त चौरों में जल जमाव नहीं है तथा लगभग सभी चौरों में रबी फसल लगा हुआ है। प्रश्नगत धार से पानी का समुचित बहाव होता है। वर्त्तमान में प्रश्नगत धार के तल की सफाई की आवश्यकता नहीं है।

डॉ० विनोद प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–त्र–46 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
	क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के घोड़ाघाट जलाशय अंतर्गत मुख्य कैनाल नहर, बगाही ब्रान्च नहर एवं करमौनी ब्रांच का लाईन कच्चा है एवं नहर में गाद की सफाई नहीं होने से बरसात के दिनों में नहर का तटबंध टूट जाया करता है, यदि हाँ तो सरकार उपरोक्त वर्णित नहरों के लाईन का पक्कीकरण कराने एवं नहर में गाद की सफाई कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के घोड़ाघाट लीलाजन सिंचाई योजना अंतर्गत नहर प्रणाली में गाद की समस्या है। परन्तु विगत पाँच वर्षों में बरसात के दिनों में नहर का तटबंध नहीं टूटा है। लीलाजन सिंचाई योजना अंतर्गत मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य एवं बगाही शाखा नहर, करमौनी शाखा नहर एवं इसके वितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य का डी०पी०आर० 31'मार्च 2018 तक तैयार किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 441 दिनांक 05.03.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया को निदेशित किया गया है।